न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/452

1. श्रीमती नाथी बाई आयु 60 वर्ष विधवा छोटा जाति मीणा निवासी गाम सामरबा हाल निवासी खुराड जिला बून्दी ।
2. मंजू पुत्री गंगा बिशन जाति मीणा निवासी ग्रमा सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आत्मज गंगा बिशन जाति मीणा निवासी ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी
2. कस्तूरा आत्मज खेमरा जाति मीणा निवासी ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. गबूर लाल बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. भंवर लाल आत्मज गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. बरघी लाल
6. बाबूलाल
7. शम्भू लाल
8. रमेश पिसरान श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी ।
9. श्रीमती नर्बदा बाई पुत्री कान्हा पत्नी मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम माईजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. श्रीमती छोटी बाई पुत्री कान्हा पत्नी दयाराम जाति मीणा निवासी ग्राम माईजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम सामरबा तहसील एवं जिला बून्दी की खाता संख्या 49 की कुल 61 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 10 के शामलाती

खाते की भूमि है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर पारिवारिक समझौते से विभाजन हो रखा है । उसी अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावे ।

3. अतः वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में से कॉलम संख्या 3 व कॉलम संख्या 3 (अ) के अनुसार अथवा हिस्सावार वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को अलग खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 9 व 10 की ओर से काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 13.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया तथा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 9 एवं 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुई हैं । लोक अदालत में केवल पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत विधिक राजीनामा के आधार पर ही वाद का निर्णय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना ही अंतिम डिक्री पारित की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । प्रतिवादी गोपाली बाई पुत्री कान्हा की एक वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने जवाबदावा पेश किया था और यह कथन किया था कि अपीलान्ट कान्हा के मृतक पुत्र छोटा के उत्तराधिकारी हैं । उनका 1/6 हिस्सा वादग्रस्त आराजी में निहित है । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । दिनांक 13.06.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई । लोक अदालत में अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे कोई राजीनामा नहीं हुआ था । बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना ही बंटवारे रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अंतिम डिक्री जारी की गई है जो विधि – विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने गोपाली बाई को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी । आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं है । गोपाली बाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम हो चुका है । आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील मेन्टेनेबल नहीं है । लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया था । नाथी बाई को रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में गोपाली बाई के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है और पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं जिसमें पुत्र रहते हुए पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होते हैं । गोपाली बाई की मृत्यु हो चुकी है ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण कम 1 से 3 ने रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 11, अपीलान्ट एवं गोपाली बाई के खिलाफ एक दावा विभाजन के लिए पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में दावा शहादत वादी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी प्रभूलाल, गबूर लाल, कस्तूरा और प्रतिवादीगण में भंवर लाल, बिरधीलाल, बाबूलाल, शम्भूलाल एवं रमेश उपस्थित हुए हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर उपस्थित पक्षकारान की सहमति के आधार पर दावा डिक्री किया गया है और उसी दिन अंतिम डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं ओर न ही समस्त पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह आपत्ति की गई है कि अपीलान्ट के द्वारा गोपाली बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस कारण अपील मेन्टेनेबल नहीं है । इस कम में हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । गोपाली बाई अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी अपीलान्ट के कथनानुसार उनकी मृत्यु हो चुकी है । चूँकि प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गोपाली बाई के विधिक वारिसान यदि अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वे अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा